न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी श्रीमती दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

जी. सी.एस. नम्बर–2021 / 1180 **दायर दिनांक : 30.06.2021**

मुरारीलाल जी पुत्र श्री नथमल उम्र 55 वर्ष जाति दर्जी निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

–वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

–प्रतिवादी

वकील वादी :– **श्री पंकज कुमार जाँगिड़**

वकील प्रति0 :– राज पैरोकार

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

अं. धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 12–08–2021

वादी ने एक वाद–पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में नया खाता नं. 448 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.62 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी व उसके सह–खातेदार अशोक पुत्र श्री नथमल, मोहनी पत्नी श्री नथमल जाति दर्जी सा. देह खातेदार के नाम वर्तमान में दर्जशुदा चली आ रही है। उक्त वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी संबंधित कोई विवाद नहीं है, सिर्फ वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र श्री नथमल के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में मुरली पुत्र नथमल गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है, इसी का ही विवाद है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी व [illegible] की खातेदारी काश्त की भूमि है, जिस पर वादी अपने हिस्से पर शामिलात [illegible] है और आबाद है, [illegible] विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र नथमल के स्थान पर [illegible] रूप से मुरली पुत्र नथमल दर्ज कर दिया, जो बदस्तुर राजस्व रिकॉर्ड में गलत चला आ रहा है; जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:36 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

वादी का वास्तविक व सही नाम मुरारीलाल पुत्र नथमल है। वादी का नाम लोक दस्तावेज आधार कार्ड, सर्विस कार्ड में भी मुरारीलाल पुत्र श्री नथमल दर्जशुदा है, जो सही व वास्तविक नाम है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र नथमल के स्थान पर गलत रूप से मुरली पुत्र नथमल दर्ज कर दिया जो लगातार बदस्तुर राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है। अब वादी ने अपनी भूमि को डवलप करने हेतु सरकारी सहायता लेने के लिये पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो वादी को इस गलत राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरली पुत्र नथमल के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र नथमल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 28.06.2021 को वादी ने अपनी भूमि को डवलप करने हेतु सरकारी सहायता लेने के लिये पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो वादी को इस गलत राजस्व रिकॉर्ड का पता चलने के रोज बमुकाम झाझड़ पैदा हुआ। अदालत बाला को हक समायत हासिल है।

वादी द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित नया खाता नं. 448 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.62 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरली पुत्र नथमल के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र नथमल दर्जकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने के बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से सम्यक तामिल के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तदपश्चात् तहसीलदार नवलगढ़ से वादी मुरारीलाल पुत्र नथमल एंव मुरली पुत्र नथमल दोनो नामो के संबंध में रिपोर्ट चाही गई, तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेशकर कथन किया कि वाके ग्राम झाझड़ के मजमे आम पर [illegible] जनों को बताया कि मुरारीलाल पुत्र नथमल द्वारा ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 513 [illegible] खसरा नम्बर 514 रकबा 1.62 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 हैक्टर [illegible] ना नाम मुरली पुत्र नथमल जाति दर्जी दर्ज रिकॉर्ड होना बताया। मौतविरान से पूछताछ करने पर बताया गया कि मुरली पुत्र नथमल का वास्तविक नाम मुरारीलाल पुत्र नथमल ही है जो प्राथी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:36 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.टै.)
नवलगढ़

कार्ड, सर्विस कार्ड आदि में दर्ज है। मौके पर उपस्थित जनो द्वारा बताया गया कि आमतौर पर मुरली पुत्र नथमल के नाम से जानते है, जबकि रिकॉर्ड दस्तावेजो में मुरारीलाल पुत्र नथमल है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहक वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में ग्राम झाझड़ की जमाबन्दी संवत् 2075–78 पेश की थी। नाम के संबंध में दस्तावेजात् के रूप में आधार कार्ड, सर्विस कार्ड आदि पेश किये गये जिसमें वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र नथमल जाति दर्जी निवासी झाझड़ दर्ज रिकार्ड है, जबकि तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट एंव वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, सर्विस कार्ड में मुरारीलाल पुत्र नथमल दर्ज है तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कथन किया गया कि मुरारीलाल पुत्र नथमल व मुरली पुत्र नथमल दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त दस्तावेजात् एंव तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मुरारीलाल पुत्र नथमल जाति दर्जी निवासी झाझड़ व मुरली पुत्र नथमल जाति दर्जी निवासी झाझड़ दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है तथा वादी का सही व वास्तविक नाम मुरारीलाल पुत्र नथमल साबित होता है। वादी को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकार है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित नया खाता नं. 448 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.62 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 हैक्टर में मुरली पुत्र नथमल के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र नथमल जाति दर्जी निवासी झाझड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

एस.डी.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़

दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:36 IST
Reason: SelfAttested

5

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा सं0:– 2021 / 1180 **(मुरारीलाल बनाम तहसीलदार)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **12.08.2021** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित नया खाता नं. 448 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.62 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 हैक्टर में मुरली पुत्र नथमल के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र नथमल जाति दर्जी निवासी झाझड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन............–............ मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **12** माह **08** सन **2021** को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:36 IST
Reason: SelfAttested